बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:– 3/अ0प्र0–1–04/2017 46 /पटना, दिनांक :– 2-9-2020

श्री महेश चन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय लेखा लिपिक, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सिवान के पदस्थापन काल में आदेश का अनुपालन नहीं करने, बिना अनुमति कार्यालय से लगातार स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति रहने एवं वांछित स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के लिये कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कार्य प्रमंडल–01, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में कार्यालय आदेश सं0 290 दिनांक 07.04.2017 द्वारा निलंबित करते हुए उक्त गठित आरोपों पर श्री प्रसाद के विरूद्व कार्यालय आदेश संख्या–331–सह–पठित ज्ञापांक 1219 अनु0 दिनांक 06.06.2017 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1333 अनु0 दिनांक 11.02.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्व गठित आरोपों को प्रमाणित माना गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 872 अनु0 दिनांक 02.04.2019 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। कालान्तर में श्री प्रसाद का दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में उक्त विभागीय कार्यवाही को कार्यालय आदेश संख्या–62 सह पठित ज्ञापांक 2280 दिनांक 13.08.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

3. श्री प्रसाद को द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित नही किया गया। श्री प्रसाद से द्वितीय बचाव बयान अप्राप्त रहने के फलस्वरूप उनके विरूद्व गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्व गम्भीर आरोप है, जो विभागीय कार्यवाही में भी प्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त यह मानते हुये कि प्रमाणित आरोप के प्रसंग में श्री प्रसाद को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है श्री प्रसाद के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतः उपरोक्त के आलोक में श्री महेश चन्द्र प्रसाद, कनीय लेखा लिपिक, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारणर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की मासिक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

(.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic

श्री प्रसाद को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है।

ह0/02/09/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–04/2017 1435 /पटना, दिनांक :– 2-9-2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/प्रभारी वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/02/09/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–04/2017 1435 /पटना, दिनांक :– 2-9-2020

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग /जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/उप सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–8/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री महेश चन्द्र प्रसाद, निलंबित कनीय लेखा लिपिक, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत हजियापुर वार्ड नं0–11, एस0एस0 बालिका मध्य विधालय के सामने श्री रविन्द्र सिंह के मकान में, डाकघर+थाना +जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/02/09/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–04/2017 1435 /पटना, दिनांक :– 2-9-2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/02/09/2020

अभियंता प्रमुख